109

पत्रांक-14/एम7-39/2015................

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक:

के० सेंथिल कुमार,
सरकार के अपर सचिव

सेवा में,

कुलसचिव,
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय
दरभंगा।

पटना, दिनांक 2015

विषय:- वेतन सत्यापन कोषांग के द्वारा डा० विनोदानन्द झा, एम०एल०एस०एम० कॉलेज, दरभंगा के लिए निर्गत वेतन अनुमान्यता पत्र संख्या-12031508016610 को रद्द करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि वेतन सत्यापन कोषांग के द्वारा डा० विनोदानन्द झा, एम०एल०एस०एम० कॉलेज, दरभंगा का वेतन अनुमान्यता पत्र बिना किसी सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदन के निर्गत कर दिया गया है, जबकि विषयाधीन मामला सहित इससे सदृश्य अन्य मामले माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष न्याय निर्णय हेतु विचाराधीन है। वर्णित स्थिति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विषयाधीन सभी मामलों में कोई स्पष्ट निर्णय जब तक नहीं हो जाता है तब तक इनके वेतन अनुमान्यता पर बिना किसी सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से निर्गत किया जाना विधि सम्मत नहीं है।

वर्णित तथ्यों के आलोक में डा० झा के लिए निर्गत वेतन अनुमान्यता पत्र संख्या-12031508016610 को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(के० सेंथिल कुमार)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-14/एम7-39/15-531 पटना, दिनांक 11/04/2015

प्रतिलिपि:- प्रधानाचार्य, एम०एल०एस०एम० कॉलेज, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(के० सेंथिल कुमार)

सरकार के अपर सचिव

H:\28.03.2011 update in 22-09-2014\28.03.2011\File No. C-8 Fourth Phase Cons. College History\S.B. Sinha Commission\LNMU\Letter Registrar LNMU Cancelled of Pay Fixation of Binodanand Jha 12.04.15.docx